


द्वारा इसे छींड़त नहीं किया गया है। अतः दुर्घटना का रस्ता होने में की गई उधेडा की उन्नधारणा करने हेतु इसका अवलोकन किया जाना उचित होगा। इसके अवलोकन से विदित होता है, कि दुर्घटना वाराणसी शहर अन्तर्गत स्थान भोतुबीर सिधौरा मार्ग कै- ग्राम झौला मुर्वडा पुलक चौकी के पास सडक स्थित स्थान "ए" पर दक्षिण तरफ से नई नवादा स्थित आनदीप स्कूल/बस द्वारा उरतर तरफ से आती हुई मोटर सायकिल को सडक कै- पूरब तरफ टक्कर मार देने के कारण घटित होना दर्शात की गई है, जिसके छणहन में विपक्षिण की तरफ से कोई मोटिक या क्षीक्षीक्षीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही प्रवणगत बस संख्या यु-पी-65ए-एच/8733 के चालक को पी0डब्लू0-1 विपक्षी मिश्र व पी0डब्लू0-2 कृष्ण कुमार मिश्र उर्फ लालधर मिश्र की मोटिक साक्ष्य को छींड़त करने के लिये मोटिक साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। अतः दुर्घटना बस चालक द्वारा उधेडा पूर्ण बस को चलते हुए दाहिने तरफ जाकर मोटर सायकिल में धक्का मार देने के कारण घटित होना पाई जाती है। बाद रिबट्टु संख्या-1 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

बाद रिबट्टु संख्या-2 :-

बाद रिबट्टु संख्या-2 के संदर्भ में उल्लेखनीय है, कि कागज संख्या-22ग/। विपक्षी दि ओरिएण्टल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बीमा पालिसी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से विदित होता है, कि मोटर सायकिल संख्या यु-पी-65एच/0021 विपक्षी दि ओरिएण्टल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड से दिनांक 23-07-07 से दिनांक 22-07-08 तक के लिये बीमित थी तथा कागज संख्या-74ग/। व 2 बाधा प्रति तथा कागज संख्या-79ग/। दि न्यू इण्डिया इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बीमा पालिसी की प्रति दाखल की गई है, जिसके अवलोकन से विदित होता है, कि पालिसी नम्बर-420500/31/06/0100008447 द्वारा बस वैकिल नम्बर-451815 तथा इजन नम्बर-96569। विपक्षी बीमा नीलम सिंह के नाम आनदीप शिखरा स्कूल के लिये दिनांक 27-12-06 से दिनांक 26-12-07 तक के लिये बीमित था कि प्रवणगत दुर्घटना दिनांक 20-8-07 की है। अतः दुर्घटना के दिन विपक्षी मोटिक वाहन, मोटर सायकिल व बस को बीमित होना पाया जाता है। बाद रिबट्टु संख्या-2 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।



वाद बिन्दु संख्या-3 :-

19. वाद बिन्दु संख्या-3 जो इस जांच का विरहीत किया गया है, कि दुर्घटना के समय प्रचलित वाहन का चालन वैश एचएम प्रभावी चालन विधायी द्वारा किया जा रहा था, के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है, कि वाद संख्या-1 में दुर्घटना में लिप्त बस संख्या यू.पी. 65ए.एच. 8733 के चालक के उपेक्षा एचएम लापनवाही पूर्ण चालन के दौरान पाई गई है, जिसके बावजूद विपक्षी संख्या-5 वि.यू. इण्डिया इन्सुरेंस कम्पनी लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सत्यापन अखिया कागज संख्या-79ग/2 प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से विदित होता है, कि डी.एल.नम्बर-30093/वाराणसी के कारखाने के विपक्षी/बनुषधारी वादव हल्के मोटरवाहन व भारी वातावरण वाहन के चालने हेतु अर्जित है तथा उसका चालन अनुज्ञापित दिनांक 5.10.06 से दिनांक 4.6.09 तक वैध रहा है तथा कागज संख्या-22ग/3 सत्यापन जांच विपक्षी वी.ओ.एस.एल. इन्सुरेंस कम्पनी लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से विदित होता है, कि डी.एल. नम्बर-11218/वाराणसी-90 चालक कृष्णकुमार मिश्रा के नाम केवल मोटर सायकिल चालन हेतु दिनांक 9.07.07 से दिनांक 8.07.2012 तक वैध है, जब कि हस्तगत दुर्घटना दिनांक 20.08.07 की है। अतः दुर्घटना के दिनांक दुर्घटना में लिप्त मोटर सायकिल व बस उपरोक्त के चालकों के पास वैश एचएम प्रभावी चालन अनुज्ञापित होना पाया जाता है। वाद बिन्दु संख्या-3 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या-4 :-

20. वाद बिन्दु संख्या-4 जो इस जांच का विरहीत किया गया है, कि क्या वाद में पक्षों के अंत्योपजन का दोष है, के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है, कि हस्तगत वादिका में दुर्घटना में लिप्त मोटर सायकिल संख्या यू.पी. 65ए.एच. 0021 तथा बस संख्या यू.पी. 65ए.एच. 8733 के रजिस्ट्रारों, चालकों तथा बीमा कम्पनियों को पत्रकार बनाया गया है अतः वादिका में अंत्योपजन के अंत्योपजन का दोष होना नहीं पाया जाता है। वाद बिन्दु संख्या-4 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।


वाद बिन्दु संख्या-5 :-

21. वाद बिन्दु संख्या-5 जो प्रतिकर को धरारिा व उसकी अंत्योपजन के दायित्व से सम्बन्धित है, के सम्बन्ध में वादिका में वादिका में इस जांच का




वर्षन किया है, कि दुर्घटना में आई चोटों के परिणाम स्वरूप याची गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा उसका इलाज सिंह मेडिकल एण्ड रिसर्च सेन्टर में कराया गया और अभी भी इलाज चल रहा है। याची की तरफ से कागज संख्या-31ग/79 आघात प्रतिवेदन की प्रमाणित कॉपी प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से विदित होता है, कि दिनांक 21-08-07 को 9-30 बजे एस.एस.पी.जी अस्पताल वाराणसी के आकस्मिक चिकित्साधिकारी द्वारा याची के शरीर पर चिकित्सीय परीक्षण के समय कुल चार चोटें पाई गई है, जिसमें उसकी छोपड़ी पर चोटों बंधी चोट, जिसे जोड़ने पर 15 सेमी गुणो 5 सेमी गुणो दृढ़ी की गहराई तक चोट, दाहिने तरफ अगले पैराइटल हिस्से में पाई गई। सीने में डिनल निदान, दाहिने कंधे पर खरोच तथा सीने पर फसलियों के बीच में चोट होने का उल्लेख है। चोट करीब एक दिन पुरानी व्यय साधारण व किसी कड़ेवस्तु से आनीतकारी होने का उल्लेख है। कागज संख्या-31ग/83 सिंह मेडिकल एण्ड रिसर्च सेन्टर तेलियाबाग, वाराणसी का डिस्पार्च नोट मूल रूप से दाखिल है, जिसके अवलोकन करने पर पता जाता है, कि याची दिनांक 20-08-07 से दिनांक 02-09-07 तक उक्त अस्पताल में भर्ती रहा है तथा रोग के लक्षण में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसमें सीने में फसलियों में बहुत से फ्रैक्चर तथा दाहिनी हड्डी व छोपड़ी में उमरी तरफ फ्रैक्चर होने का उल्लेख है, जिससे विदित होता है, कि याची को सड़क यातायात दुर्घटना में गम्भीर चोटें आयी है, जिसके इलाज हेतु याची सिंह मेडिकल एण्ड रिसर्च सेन्टर में 14 दिन भर्ती रहा है। कागज संख्या-62ग याची की तरफ से आकस्मिक चिकित्साधिकारी पीडित वीन दयाल चिकित्सालय वाराणसी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र, जिसमें दिनांक 02-09-09 को किये गये चिकित्सीय परीक्षण में उसके दाहिने बाहुओं में कड़ापन व कमजोरी होना तथा उसको चलने फिरने व बैठने में परेशानी होने का उल्लेख है, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई अपंगता प्रमाण-पत्र याची द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस प्रमाण पत्र का कोई चिकित्सीय महत्व अपंगता के उद्देश्य से नहीं है इसीलिए उपरोक्त चिकित्सीय प्रमाणों के आधार पर दुर्घटना में याची के शरीर पर गम्भीर चोट आना प्रमाणित है।

याची द्वारा याचिका में अपने को 58 साल का एक कर्मकाण्डी उल्लेख किया है तथा कर्मकाण्ड व पूजा पाठ



803/2

से रु. 7,000/- प्रतिमाह आय करने का कथन किया गया है तथा मौखिक तथ्य में भी इसी आय का बयान दिया गया है, किन्तु इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है, कि याची ने याचिका पर अपना निवृत्तानो अंगूठा लगाया है। पता चला कि कोई भी उसके हस्ताक्षर का प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक अपनी मौखिक साक्ष्य पर भी याची ने निवृत्तानो अंगूठा लगाया है, जो इस बात का द्योतक है, कि याची अधीक्षित है। अतः उसे विद्वान कर्मकाण्ठी द्वारा दृष्टा होना नहीं पाया जाता है। ऐसे भी चूँकि ऊपर यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है, कि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप याची के शरीर में कोई अव्यक्त अथवा अव्यक्त नहीं उपनन हुई है। अतः दुर्घटना के परिणाम स्वरूप याची की शारीरिक अथवा अर्जन क्षमता में हुई क्षति के सम्बन्ध में विवेचना किया जाना अप्रतिष्ठित है। याची द्वारा दवा इलाज के मद् में व्यय की गई धराराजा के सम्बन्ध में कागज संख्या-31ग/77 सिंह मेडिकल एण्ड रिस्सर्च सेन्टर की रसीद मूल रूप से दाखिल की गई है, जिसके अनुसार उक्त अस्पताल में उसके इलाज पर रु. 32,400/- व्यय हुआ है। इसके अलावा दवा रु. 30,988/- की रसीद संख्या-31ग/10 लगायत 31ग/76 भी प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार दवा इलाज के मद् में याची द्वारा कुल रु. 63,388/- खर्च किया गया है। इसके अलावा याची को 14 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के लिये रु. 100/- प्रतिदिन के खिाव से रु. 1400/- उसकी आय की क्षति हेतु तथा रु. 2,000/- विशेष पौष्टिक आहार के मद् में भी देय होना पाया जाता है। इस प्रकार क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धराराजा कुल रु. 66,788/- होती है। इसके अलावा याची को दवा खर्च करने की क्षतिपूर्ति भी प्रस्तुत की गई है। याची के दवा खर्च के सम्बन्ध में याची के अधिकारी हैं। यहाँ तक प्रतिकर की अदायगी के दायित्व का प्रश्न है। चूँकि याद बिन्दु संख्या-1 के निस्तारण में विपक्षी संख्या-1 के बालक विपक्षी संख्या-4 धनुषधारी यादव को विपक्षी संख्या-1 की सेवायोजन के दौरान लापरवाही व उपेक्षापूर्ण चालन के परिणाम स्वरूप दुर्घटना घटित होना निर्धारित किया गया है। कागज संख्या-46ग विपक्षी की नवशिक्षा श्रमिकों के विद्वान अधीक्षता द्वारा सत्यापन आडवा फार्म-54 जो सचिव सम्भागीय परिवहन अधिकारी वाराणसी द्वारा निर्गत की गई है, प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार याहन पंजीकरण संख्या यू.पी.-65ए-एच/8733 स्कूल शानदीप डी ग्लवा स्कूल श्रीमती नौलम सिंह विपक्षी संख्या-1 के नाम पंजीकृत है, जिसका परीगट संख्या-624 आर.टी.ए. वाराणसी/2007 दिनांक 11-09-07 से दिनांक 10-09-2012 तक स्कूल के श्रमिकों को लाने व ले जाने हेतु देय होना अंकित है, किन्तु वस्तुगत दुर्घटना दिनांक 20-08-07 को है।




REDMI NOTE 6 PRO  
MI DUAL CAMERA

अतः दुर्घटना की तिथि को दुर्घटना कारक वाहन एस.पी.65ए.एच/0733 के पास केव परीमिट होना नहीं पाया जाता है, जो धारा-149 शरीर मोटरवाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत बीमा इतरों का अन्वयन है। अतः दुर्घटना कारक एस के बीमाकर्ता विपक्षी संख्या-5 दि न्यू इण्डिया इन्सुरेंस कम्पनी लिमिटेड प्रतिकर की अदायगी हेतु जिम्मेदार तो पाया जाता है, किन्तु अदायगी के उपरान्त उसे विपक्षी संख्या-1 वाहन स्वामी श्रीमती नीलम सिंह से वसूल किये जाने का अधिकार सुरक्षित है। वाद बिन्दु संख्या-5 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

23. सहाय की उपरोक्त को गई सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर वादी की घाघिका आर्थिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

घाघिका आर्थिक रूप से मु066,784/- बाछठ हजार सात सौ अठसती रूपये क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण संख्या-1 व 5 के विरुद्ध संयुक्त रूप से स्वीकार की जाती है। इसके अलावा वादी घाघिका प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक प्रतिवर्त वार्षिक ब्याज भी प्राप्त करेगा। विपक्षी संख्या-5 दि न्यू इण्डिया इन्सुरेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है, कि प्रतिकर की सम्स्त धनराशि तद ब्याज निर्णय के दो माह के अन्दर वादी को अदा किये जाने हेतु न्यायालय में जमा करे। विपक्षी संख्या-5 दि न्यू इण्डिया इन्सुरेंस कम्पनी लिमिटेड अदा की गई प्रतिकर की धनराशि विपक्षी संख्या-1 श्रीमती नीलम सिंह से वसूल कर सकती है।



*[Signature]*  
राम अमल वादवे 24/11/09

मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति न्यायाधीकरण  
अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश  
आवश्यक तत्त्व अधिनियम वाराणसी।

दिनांक:- नवम्बर 24, 2009 ई0।  
निर्णय अत्र को न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित  
एवम अवलोकित किया गया।

*[Signature]*  
राम अमल वादवे 24/11/09

मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति न्यायाधीकरण  
अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश  
आवश्यक तत्त्व अधिनियम वाराणसी।

दिनांक:- नवम्बर 24, 2009 ई0।

*[Signature]*  
24/11/2009

*[Signature]*  
श्रीमती नीलम सिंह  
2104 लखनऊ - 5000

REDMI NOTE 6 PRO  
MI DUAL CAMERA